न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 38 / 2024

1 भागचन्द पुत्र श्री फुलाराम निवासी सेंसवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र खगाराम निवासी सेंसवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 बनवारी लाल पुत्र फुलाराम
3 प्रभुदयाल पुत्र फुलाराम
4 शीशराम पुत्र फुलाराम
5 राजेन्द्र पुत्र फुलाराम
6 परमेश्वरी देवी पत्नी फुलाराम
7 केशर देवी पुत्री फुलाराम
8 माखोरी देवी पुत्री फुलाराम समस्त निवासीगण सेंसवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2024 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज. मु.
उनवानी रामेश्वर बनाम फुलाराम मुकदमा नम्बर 42 / 2022
अ.धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जाफर अली खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 42/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 18, 19 वाके ग्राम सैंसवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 298/19 में रिकार्ड के अनुसार रास्ता नहीं है। जबकि खसरा नम्बर 298/19 के रिकार्ड के अनुसार कोई रास्ता ही नहीं है तथा 298/19 के पश्चिम में 54 व 55 पड़ता है तथा खसरा नम्बर 54 व 55 सिर्फ पगडंडी बतायी गयी है जबकि खसरा नम्बर 298/19 के रिकार्ड के अनुसार कोई रास्ता नहीं है। किस आधार पर विचारण न्यायालय ने रास्ता मानकर आदेश का कथन किया है। विचारण न्यायालय का रास्ते का आदेश खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट के उत्तर में खसरा नम्बर 20 है जिसमें रास्ता कटा हुआ है तथा खसरा नम्बर 18 व 19 के नजदीक रास्ता कट सकता है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 20 में रास्ता न देने की कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के खेत में खसरा नम्बर 398/19 मौजा सेंसवास की जमीन में कोई रास्ता कटा हुआ है ही नहीं। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 298/19 में रास्ता मानने की भूल की है। हल्का पटवारी बहादुरवास के रिपोर्ट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अनुसार रास्ता 298/19 में नहीं है जबकि खसरा नम्बर 54 में पगडंडी कटी हुई है। बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 298/19 रास्ता मानने की भूल की है। आदेश खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट ने खेत खसरा नम्बर 298/19 मौजा सेंसवास में कोई रास्ता नहीं है जबकि विचारण न्यायालय ने किस आधारी पर खसरा नम्बर 298/19 में रास्ता दिया जाने का आदेश दिया है वह एक गलत है बिना किसी आधार के रास्ता दिया गया है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के जांच न करने की भूल की है उस जमीन के नजदीक बहुत रास्ते है। विचारण न्यायालय ने इस बाबत कोई जांच नहीं की है। सिर्फ कयास के आधार पर रास्ता दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार मण्डवा से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 182 दिनांक 15.02.2023 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम सैंसवास के खसरा नम्बर 18 रकबा 0.88, 19 रकबा 0.33 के खातेदार रामेश्वर पुत्र खांगाराम द्वारा खसरा नम्बर 298/19 रकबा 0.80 हैक्टेयर के मध्य से रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 298/19 में से खसरा नम्बर 19 तक जाने के लिए मौके पर खसरा नम्बर 298/19 की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ रास्ते से 76 मीटर स्थित है जो कि निकटतम है। निकटतम दूरी संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 298/19 में से होकर गुजरने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा डी.एल.सी. की दुगुनी दर से राशि दिये जाने की सहमति दी है। परन्तु धारा 251 ए में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251 ए के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावा से मंगवाये जाने पर विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का बहादुरवास की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा इस मौका रिपोर्ट को विचारण न्यायालय को भिजवाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के नियम 69 में आज्ञापक प्रावधान है कि धारा 251 ए के प्रकरण में मौका रिपोर्ट आईएलआर स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में आईएलआर द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय धारा 251 ए के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सक्षम स्तर से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर